

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) नगर-विकास का विषय राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने असंतुलित विस्तार को, रोकने के लिए कई उपाय करने आरम्भ किए हैं ;

(ख) उठाए गए कतिपय मुख्य कदम निम्नलिखित हैं :—

(i) तीसरी पंचवर्षीय योजना में बड़े नगरों और कस्बों की वृहत् योजनाएं तैयार करने के लिए, राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत सहायता देने की व्यवस्था की गई थी।

(ii) व्यापक नगर तथा ग्राम आ-योजना कानून बनाने में राज्य सरकारों की सहायता की गई है।

(iii) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे बड़े शहरों के गिर्द चुनीदा उप-नगरों में नए कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दें।

(iv) पांचवीं योजना के मसौदे के अन्तर्गत, एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है जिससे उनको नगरीय क्षेत्रों में असंतुलित विस्तार को और अधिक व्यापक रूप से तथा क्षेत्रीय आधार पर रोकने में सहायता मिलेगी। नगरीकरण पर एक राष्ट्रीय नीति के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि युक्तियुक्त और सुव्यवस्थित नगरीय विस्तार हो सके।

J [THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAN DHARIA): (a) The subject of urban development falls within the purview of the State Governments and local bodies.

t[] English translation.

The Central Government have, however, initiated a number of measures to check the haphazard growth.

(b) The following are some of the major steps taken:—

(i) In the Third Five Year Plan cent-percent assistance for the preparation of Master Plans for large cities and towns was provided to the State Governments.

(ii) The State Governments have been given assistance in the enactment of Comprehensive Town and Country Planning Legislation.

(iii) The State Governments" have been advised to encourage new activities in selected satellite towns around big cities.

(iv) Under the draft Fifth Plan, it is proposed to provide financial assistance to the States to undertake integrated urban development programmes which would help them to check haphazard growth of urban areas on a more comprehensive and regional basis. Efforts are also in progress for a national policy on urbanizations so as to have a rational and systematic urban growth.]

भूतपूर्व दरभंगा राज्य के ऐतिहासिक
रिकार्ड

103. श्री ओउम प्रकाश त्वांगी :
क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृ-
मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जनवरी, 1975 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भूतपूर्व दरभंगा राज्य के व्यक्तिगत 'आर्काइव्स' में से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रिकार्ड या तो रद्दी के रूप में बेच दिये गये अथवा नष्ट कर दिये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण

रिकार्डों को प्रबन्धकों की लापरवाही के कारण नष्ट कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

Historical records of ex-Darbhanga State

103. SHRI O. P. TYAGI: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which has appeared in the 'Hindustan Times' of the 28th January 1975 to the effect that the important historical records belonging to the private archives of ex-Darbhanga State have either been sold as waste paper or have been destroyed;

(b) whether it is a fact that important records in Tamil Nadu and Madhya Pradesh States have also been destroyed due to the negligence of the management; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard?

शिक्षा और सनाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्रि (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार तमिलनाडु के पुरालेखों में 86,000 पुराने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रिकार्ड नष्ट कर दिए गए हैं । मध्य प्रदेश में रिकार्ड नष्ट करने के बारे में भी समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं, परन्तु इसके बारे में केन्द्रीय सरकार के पास कोई अधिकृत सूचना नहीं है ।

(ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

†[] English translation.

विवरण

राज्य सरकारों अथवा पृथक-पृथक व्यक्तियों के पास रखे रिकार्डों को उनके द्वारा रखरखाव अथवा नष्ट करने से सम्बन्धित निर्णय लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है, परन्तु भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ने जो कि सरकार को पुरालेख सम्बन्धी नीति के मामलों में सलाह देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किया है, पुराने रिकार्डों को समुचित रूप से छंटाई के प्रश्न पर पहले अनेक सिफारिशें की थीं । शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में लखनऊ में 28 जनवरी 1975 को हुई भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की बैठक में इस मामले पर दोबारा विचार विमर्श किया गया था और निम्न-लिखित संकल्प पारित किया गया था :—

“आयोग द्वारा (1925 की संकल्प संख्या-II, 1942 की संकल्प संख्या VII, 1943 की संकल्प संख्या 5, 1951 की संकल्प संख्या में) बार-बार की गई सिफारिशों के बावजूद, अनेक राज्यों में तथाकथित व्यापक पैमाने पर पुराने सांस्कृतिक अभिलेखों के नष्ट किए जाने पर आयोग अत्यन्त चिन्तित है तथा यह तय करती है कि इस बात की जांच करने के लिए आयोग के पांच सदस्यों की एक उप-समिति गठित की जाए, जो स्थायी समिति को छः मास के भीतर निम्नलिखित बातों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे :—

(क) उपरोक्त संकल्पों को किस सीमा तक कार्यान्वित किया जा रहा है ;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान नष्ट किए गए अभिलेखों की अवधि और प्रकार ;

(ग) पुराने अभिलेखों का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त स्टाफ की योग्यताएं तथा उपयुक्तता ; और

(घ) स्थायी महत्व के अभिलेखों के संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु तत्काल कौन से कदम उठाए जा सकते हैं।

आयोग राज्य सरकारों को इस बात की भी सिफारिश करता है कि जब तक उक्त समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती तब तक वे 1947 से पूर्व के अभिलेखों को नष्ट न करें।

केन्द्रीय सरकार इस मामले पर राज्य सरकारों से बातचीत कर रही है। रिकार्ड की स्थिति का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय सरकार के अधिकारी को भेजा जा रहा है।

[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) According to information received by the Central Government, 86000 old records of historical importance have been destroyed in the Tamil Nadu Archives. Reports have also appeared in the Press about destruction of records in Madhya Pradesh but the Central Government have no official information about this.

(c) A statement is laid on the table of the Sabha.

Statement

The Central Government has no legal authority to take decisions regarding retention or destruction of records held by State Governments or individuals, but the Indian Historical Records Commission, which is the body set up by the Central Government to advise Government in matters of archival policy, made several recommendations in the past

[] English translation.

on the question of proper weeding out of old records. The matter was again discussed in the Indian Historical Records Commission-meeting held at Lucknow on the 28th January 1975 under the chairmanship of the Education Minister and the following resolution was passed:—"The Commission is greatly perturbed over the reported large scale destruction of old public records in several States, notwithstanding the repeated recommendations of the Commission (vide Resolution No. II of 1925, Resolution No. VII of 1942, Resolution No. V of 1943, Resolution No. VI of 1951) and resolves that a Sub-Committee consisting of five members of the Commission be constituted to investigate and report to the Standing Committee, within six months, on the following: —

(a) the extent to which the above resolutions are being implemented;

(b) the period and the nature of records destroyed during the last two years;

(c) the qualifications and suitability of the staff engaged on appraisal of old records; and

(d) the steps which can be taken immediately to ensure the preservation of records of permanent value.

The Commission also recommends to the State Governments that no pre-1947 records be destroyed till the said Committee has submitted its report."

The Central Government as taking up this matter with the State Government. The officer of the Central Government is being deputed to study the conditions of the record. J